

अपीलेंट:-

बनाम

रेस्पॉडेंट :-

श्री नरपतरिंह भाटी पुत्र स्व. श्रीकसिंह भाटी लोक सँवना अधिकायी (अति. जिला कलेक्टर) पाली

निवासी माफत राजेन्द्र साखला रामविवा

कल्पवृक्ष वाली गली, लोहाखान अजमेर

जिला अजमेर (राज.)

फिस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 42/2019

R.C.M.S.No.--2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सँवना का अधिकार अधिनियम-2005

नम्बर व तारीख
अहकाम वा फिस
दिस की तारीख
सँ जारी हूँ

तारीख

दिस या कर्दावाही मय इतिहासयल जल

अपीलेंट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सँवना का

अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि

कथालय लोक सँवना अधिकायी (अति. जिला कलेक्टर) पाली द्वारा

वर्षित सँवना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश

की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पॉडेंट अपना पक्ष रखने हेतु

तलब होकर एवं जिसकी सँवना अधीनाप्ट को दी जाकर पत्रावली

दिनांक 29/5/19 को पेश हो।

जिला कलेक्टर, पाली

29/5/19

अपीलेंट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सँवना

का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन

किया है कि सँवना अधिकायी (अति. जिला कलेक्टर)

पाली द्वारा वर्षित सँवना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से

अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर

होने के बाद तलब होकर पत्रावली दी जाकर पक्ष रखने

हेतु अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज

रजिस्टर होने के बाद तलब होकर पत्रावली दी जाकर

पक्ष रखने हेतु अपील न्यायालय में पेश की गई है।

अपीलेंट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सँवना

का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन

किया है कि सँवना अधिकायी (अति. जिला कलेक्टर)

पाली द्वारा वर्षित सँवना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से

अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर

होने के बाद तलब होकर पत्रावली दी जाकर पक्ष रखने

हेतु अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज

रजिस्टर होने के बाद तलब होकर पत्रावली दी जाकर

पक्ष रखने हेतु अपील न्यायालय में पेश की गई है।

अपीलेंट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सँवना

का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन

किया है कि सँवना अधिकायी (अति. जिला कलेक्टर)

पाली द्वारा वर्षित सँवना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से

अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर

होने के बाद तलब होकर पत्रावली दी जाकर पक्ष रखने

हेतु अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज

रजिस्टर होने के बाद तलब होकर पत्रावली दी जाकर

पक्ष रखने हेतु अपील न्यायालय में पेश की गई है।

774
4/16/19

68-9
21/5/19

जिला कलेक्टर, पाली